न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 252 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 360
दायर दिनांक :- 18.10.2024 निर्णय दिनांक :- 16.01.2025

1. बदनकंवर पत्नि शेरसिंह जाति राजपूत निवासी टांट तहसील नोखा जिला बीकानेर **प्रार्थीया**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान) **अप्रार्थी**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसका संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि मूल खसरा नम्बर 1519 कुल रकबा 83-04 बीघा भूमि सरहद मौजा बारू वर्तमान नवसृजित ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। मूल खसरा नम्बर 1519 रकबा 83-04 बीघा भूमि के मूल खातेदार चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 43-04 बीघा भूमि प्रार्थीया के पति शेरसिंह पुत्र भंवरसिंह को बैचान कर दी थी। बैचान के आधार पर खरीदार का खाता राजस्व रेकर्ड में अलग कायम कर दिया गया। जिसके खसरा नम्बर 1519 रकबा 43-04 बीघा भूमि थे शेष बची भूमि चन्दनसिंह ने डालसिंह पुत्र मगसिंह को बेचान कर दी थी और संवत 2058 से 2061 तक उक्त खाता माफिक विक्रय अनुसार अलग-अलग ही दर्ज रहे। नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा धोलिया के कॉलम संख्या 8 में शेरसिंह का खाता अलग दर्शाया गया था। जो नामान्तरकरण से स्पष्ट है। लेकिन आगामी जमाबंदी संवत 2062 से 2065 में उक्त भूमि को अन्य खसरान के साथ सम्मिलित कर दिया गया और प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि में अन्य खसरान के खातेदारान का नाम भामिल कर दिया गया। जो सरासर गलत है। जबकि डालसिंह का खाता आज दिन तक अलग ही दर्ज चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीया पूर्वानुसार संवत 2058 से 2061 की जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 1519 रकबा 6.9930 हैक्टेयर का अन्य खसरान से अलग खाता कायम करवाने तथा अन्य खातेदारान का नाम दुरस्त करवाने की अधिकारिणी है

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू के खसरा नम्बर 1519 रकबा 6.9930 हैक्टेयर भूमि के पूर्व खातेदार चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह ने अपने हिस्से में से 43-04 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीया के पति शेरसिंह पुत्र भंवरसिंह को किया था और खरीद अनुसार राजस्व रेकर्ड में खाता अलग कायम कर दिया था। संवत 2062 से 2065 में उक्त खाते का अन्य खसरान के साथ गलत रूप से संम्मिलित कर दिया गया जो शामिल मिसल किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि मूल खसरा नम्बर 1519 रकबा 83-04 बीघा भूमि के मूल खातेदार चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 43-04 बीघा भूमि प्रार्थीया के पति शेरसिंह पुत्र भंवरसिंह को बैचान कर दी थी। बैचान के

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आधार पर खरीददार का खाता राजस्व रेकर्ड में अलग कायम कर दिया गया। जिसके खसरा नम्बर 1519 रकबा 43–04 बीघा भूमि थे शेष बची भूमि चन्दनसिंह ने डालसिंह पुत्र मगसिंह को बेचान कर दी थी और संवत 2058 से 2061 तक उक्त खाता माफिक विक्रय अनुसार अलग–अलग ही दर्ज रहे। नामान्तरकरण संख्या 178 मौजा धोलिया के कॉलम संख्या 8 में शेरसिंह का खाता अलग दर्शाया गया था जो नामान्तरकरण से स्पष्ट है। लेकिन आगामी जमाबंदी संवत 2062 से 2065 में उक्त भूमि को अन्य खसरान के साथ सम्मिलित कर दिया गया और प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि में अन्य खसरान के खातेदारान का नाम शामिल कर दिया गया जो सरासर गलत है। जबकि डालसिंह का खाता आज दिन तक अलग ही दर्ज चला आ रहा है। इसलिए पूर्वानुसार संवत 2058 से 2061 की जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 1519 रकबा 6.9930 हैक्टेयर का अन्य खसरान से अलग खाता कायम किये जाने आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की ग्राम बारू पटवार हल्का बारू के खसरा नम्बर 1519 रकबा 6.9930 हैक्टेयर भूमि के पूर्व खातेदार चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह ने अपने हिस्से में से 43–04 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीया के पति शेरसिंह पुत्र भंवरसिंह को किया था और खरीद अनुसार राजस्व रेकर्ड में खाता अलग कायम कर दिया था। खसरा नम्बर 1519 रकबा 6.9930 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2078–2081, नक्सा ट्रेस, मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मूल खसरा नम्बर 1519 कुल रकबा 83–04 बीघा ग्राम बारू है। मूल खसरा नम्बर 1519 कुल रकबा 83–04 बीघा भूमि के मूल खातेदार चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह द्वारा रकबा 43.04 बीघा भूमि का बैचान प्रार्थीया के पति को किया जिसका नामान्तरकरण सं. 894 ग्राम बारू भरा गया और बैचान के आधार पर खाता अलग कायम कर दिया गया था लेकिन जमाबंदी संवत 2062–2065 में उक्त भूमि अन्य खसरान के साथ सम्मिलित कर दी गई जो तथ्य मौका फर्द एवं पैरोकार सरकार के जवाब से स्पष्ट है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी के खसर नम्बर 1519 रकबा 6.9930 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम तथा खसरा नम्बर 1519/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा जुबेदा पत्नी मेहबूब खां के नाम तथा 1/2 हिस्सा डालसिंह के वारिसान के नाम दुरूस्त किया जाकर अलग–अलग खाते कायम किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

16/01/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)